न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 19 / 2023	2023 / 131	30.10.2023	14.02.2025

1. ललित,
2. जयप्रकाश,
3. कमलेश पुत्र रूवरूपचन्द
4. सुशीला,
5. दीपादेवी,
6. जय श्री देवी,
7. विमला देवी पुत्रीयान रूवरूपचन्द
8. गायत्रीदेवी पत्नि रूवरूपचन्द जाति पुष्करणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1 तहसीलदार किशनगढबास हाल खैरथल जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास हाल तहसीलदार खैरथल नामान्तकरण संख्या 6055 दिनांक 13.01.2012 ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री राजेश कावटा – वकील अपीलान्टान

–: निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास हाल तहसीलदार खैरथल के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 6055 निर्णय दिनांक 13.01.2012 ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्टान के पिताजी की आराजी खसरा न0 3960, 3961, 3962, 3963, 3970, कुल किता 5 रकबा 1 बीधा 11 बिस्वा वाके ग्राम खैरथल जिला खैरथल–तिजारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गयी थी, जबकि उक्त खसरा नम्बरान में से 3960, 3961, 3962, 3970 कुल किता 4 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होकर गौर मुमकिन सडक दर्ज कर दी थी जिसे न्यायालय द्वारा दिनाक 24.12.2009 को नामान्तकरण संख्या 874 पुनः दर्ज करने बाबत आदेश दिया था, जिस पर तहत अदालत किशनगढबास द्वारा दिनाक 05.07.2011 को आराजी खसरा न0 3960 में 8 बिस्वा, 3961 में 7 बिस्वा, 3962 में 9 बिस्वा, 3963 में 6 बिस्वा, 3970 में 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 1 बिधा 11 बिस्वा सार्वजनिक निमार्ण विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। आराजी खसरा न0 हाल 3960 / 4639 रकबा 0.15 है0 में से स्वरूपचन्द पुत्र बालकिशन हिस्सा 1 / 3 भाग किस्म बारानी, 3961 / 4636 रकबा 0.13 है0 में से रूवरूपचन्द पुत्र बालकिशन हिस्सा 1 / 13 किस्म चाही सोयम, 3962 / 4637 रकबा 0.15 है0 में से स्वरूपचन्द पुत्र बालकिशन हिस्सा 1 / 5 किस्म चाही सोयम 3963 / 4638 रकबा 0.10 है0 में से स्वरूपचन्द पुत्र बालकिशन हिस्सा 3 / 10 किस्म बारानी 1 दर्ज किया जावे। नामान्तकरण संख्या 6055 दर्ज करते हुऐ सहवन व भूलवश व गलती से राजस्व रिकॉड में

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

सम्पूर्ण रकबे को गैर मुमकिन सडक दर्ज कर दिया जबकि सडक में जितने हिस्से की भूमि गयी उसी मुताबिक गैर मुमकिन सडक दर्ज होनी चाहिये, लेकिन सम्पूर्ण रकबे पर गैर मुमकिन सडक कर दिया जिससे मिन अपीलान्ट को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है, लिहाजा मिन अपीलान्ट के पिता के शेष बचे रकबे में भूमि की किस्म पूर्व के अनुसार दर्ज किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.01.2012 की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, मिन अपीलान्ट के पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का से सर्म्पक किया तो सर्वप्रथम उक्त गलत नामान्तकरण की जानकारी हुई, जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट के द्वारा नामान्तकरण संख्या 6055 को दुरूस्त कराने हेतु रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनाक 17.05.2023 को पेश किया गया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनाक 08.09.2023 को पेश की गयी है, पटवारी हल्का ने बाद जॉच रिपोर्ट मे माना है, कि प्रकरण शुद्व का न होकर अपीलीय है। जिससे अपील हाजा साधारणतया अन्दर अवधि पेश कर निवेदन है, कि अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ कर कर अपील अन्दर मियाद शुमार ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 6055 निर्णय दिनाक 13.01.2012 वाके ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 22.09.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 11 वर्ष 8 माह पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.01.2012 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनाक 17.05.2023 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि अपीलान्टान के पिताजी की आराजी खसरा न0 3960, 3961, 3962, 3963, 3970, कुल किता 5 रकबा 1 बीधा 11 बिस्वा वाके ग्राम खैरथल जिला खैरथल–तिजारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गयी थी, जबकि उक्त खसरा नम्बरान में से 3960, 3961, 3962, 3970 कुल किता 4 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होकर गौर मुमकिन सडक दर्ज कर दी थी जिसे न्यायालय द्वारा दिनाक 24.12.2009 को नामान्तकरण संख्या 874 पुनः दर्ज करने बाबत आदेश दिया था, जिस पर तहत अदालत किशनगढबास द्वारा दिनाक 05.07.2011 को आराजी खसरा न0 3960 में 8 बिस्वा, 3961 में 7 बिस्वा, 3962 में 9 बिस्वा, 3963 में 6 बिस्वा, 3970 में 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 1 बिधा 11 बिस्वा सार्वजनिक निमार्ण विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। आराजी खसरा न0 हाल 3960/4639 रकबा 0.15 है0 में से स्वरूपचन्द पुत्र बालकिशन हिस्सा 1/3 भाग किस्म बारानी, 3961/4636 रकबा 0.13 है0 में से रूवरूपचन्द पुत्र बालकिशन हिस्सा 1/13 किस्म चाही सोयम, 3962/4637 रकबा 0.15 है0 में से स्वरूपचन्द पुत्र बालकिशन हिस्सा 1/5 किस्म चाही सोयम 3963/4638 रकबा 0.10 है0 में से स्वरूपचन्द पुत्र बालकिशन हिस्सा 3/10 किस्म बारानी 1 दर्ज किया जावे। नामान्तकरण संख्या 6055 दर्ज करते हुऐ सहवन व भूलवश व गलती से राजस्व रिकॉड में सम्पूर्ण रकबे को गैर मुमकिन सडक दर्ज कर दिया प्रकरण का अवलोकन किया गया वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित आराजीयात की किस्म गैरमुमकिन सडक के स्थान पर किस्म बारानी प्रथम दर्ज किये जाने का हेतु अपील पेश की गयी है, प्रस्तुत प्रकरण अपीलीय न होकर दुरूस्ती किये जाने का मामला है, विधिक प्रावधानानुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज को अपील के माध्याम से दुरूस्त किये जाने का प्रावधान नही है, इस हतु एल. आर. एक्ट की धारा 136 के तहत सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश कर विधिवित कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहसीलदार किशनगढबास हाल खैरथल द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.01.2012 नामान्तकरण संख्या 6055 ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)